

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर

क्रमांक : 72

दिनांक : 26.11.2025

कार्यालय आदेश

मैं अम्बिका सोलंकी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 13(2) व 450(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक कारणों से इस कार्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 63 दिनांक 27.10.2025 में आदेश संशोधन कर उदयपुर न्याय-क्षेत्र में स्थित न्यायालयों से संबंधित पुलिस थानों के न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा, जमानत संबंधी व अति आवश्यक कार्य जैसे - मृत्यु कालीन कथन, मृत्यु समीक्षा (Inquest) करने हेतु निम्न सारणी के कॉलम संख्या-3 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट को उनके नाम के पूर्व कॉलम संख्या-2 में अंकित दिनांक के लिए अधिकृत करती हूँ :-

(Time 11:00 am to 1:00pm)

1	2	3	4
क्र. सं.	अवकाश दिनांक	न्यायिक अधिकारी का नाम व पदस्थापन	मोबाईल नम्बर
4	30.11.2025	सुश्री शिखा शर्मा, Spl. J.M. (N.I.Cases) No.6, Udaipur	9001953725

नोट:- शेष अवकाश दिनांक हेतु पूर्व में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 27.10.2025 यथावत प्रवर्तनीय रहेगा।

(अम्बिका सोलंकी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उदयपुर (राज.)

क्रमांक - स्था./2025/4261-4262
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ निम्न को जरिए ई-मेल प्रेषित है -

दिनांक : 26.11.2025

- श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, उदयपुर।
- श्रीमान पुलिस अधीक्षक उदयपुर को संबंधित थानाधिकारियों द्वारा उक्त निर्धारित समय पर रिमांड आदि प्रस्तुत करवाए जाने हेतु।
- संबंधित न्यायालय
- उप निदेशक, अभियोजन विभाग को एपीपी की ड्यूटी की व्यवस्था हेतु।
- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, उदयपुर।
- अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, उदयपुर

(अम्बिका सोलंकी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उदयपुर (राज.)